आक्रोश जबलपुर-मंडला मार्ग में शवों को रख घंटों चकाजाम, मुआवजा-नौकरी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर चला प्रदर्शन, लगा जाम

हिट एंड रन : पांच श्रमिकों की मौत से भड़का आक्रोश

नवभारत, जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत सिग्मा कान्हा कालोनी सालीवाड़ा के पास नेशनल हाईवे रोड में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार के तांड़व ने पांच श्रमिकों को मौत की नींद सुला दिया है। जिसको लेकर सोमवार को आक्रोश भड़क गया। गुस्साएं लोगों ने जबलपुर-मंडला हाइवे पर शवों को रखकर चक्का जाम कर दिया वहां मंजर ऐसा था जिसे जिसने भी देखा उसकी आंखे नम हो गई। लाशें सड़क पर रखी हुई थी। परिजन फूट-फूट कर रो रहे थे, अपनों की लाशों से लिपट कर चीख पुकार मचा रहे थे। न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटे थे। चक्काजाम से दोनों ओर लंबा जाम लगने के साथ वाहनों की कतार लग गई थी। आक्रोशिजनों ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रूपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और श्रमिकों की जान लेने वाले आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और परिजन शवों को अंतिम संस्कार के लिए लेकर रवाना हो गए। विदित हो कि सिग्मा कान्हा कालोनी सालीवाड़ा के पास नेशनल हाईवे रोड में डिवाइडर ग्रिल पर रंगाई, पुताई और सफाई का काम चल रहा था। मंडला जिले के ग्राम बम्होरी थाना बीजाडांडी, बम्होरी बिहारिया गांव के निवासी श्रमिक मजदूरी कर रहे थे। रविवार को थके श्रमिक सड़क किनारे भोजन कर रहे थे दोपहर लगभग 1-30 बजे कार क्रमांक एमपी 20 एक्स बी 1460 का चालक श्रमिकों को कुचलते हुए फरार हो गया था। 11 श्रमिक घायल हुये जिसमें चेनवती गौड़ 45 वर्ष एवं लछ्छो बाई 40 वर्ष की मौके पर मौत हो गई थी जबकि देर रात्रि वर्षा कुशराम 45 वर्ष, गुमता बाई 40 वर्ष, कृष्णा बाई कडोपा 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम बम्होरी की मौत हो गयी।

मुख्यमंत्री यादव, मंत्री सिंह ने दुख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रमिकों की मौत दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि दु:ख की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजन के साथ हैं। उन्होंने ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख, गंभीर घायलों को एक-एक लाख, साधारण घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माण कार्य में लगी एजेंसी को भी मृतकों के परिजन को 6-6 लाख, गंभीर घायलों को एक-एक लाख और साधारण घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने के निर्देश दिए हैं।लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

1 बजे से शुरू प्रदर्शन शाम 5 :10 बजे हुआ समाप्त

दोपहर एक बजे के लगभग आक्रोशित जन शवों को लेकर हाइवे पहुंचे थे और शाम 5:10 बजे तक प्रदर्शन किया। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कर आक्रोशितजनों को समझाइश देते रहे। प्रदर्शन से दोनों और वाहनों की लाइन लग गई रही प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित होने से राहगीर परेशान हुए। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। एएसपी सूर्यकांत शर्मा, एसडीएम अभिषेक सिंह प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर बैठे और उनकी बात सुनी। आश्वासन दिया जिसके बाद वे माने।

बर्फ की सिल्लियां पर रखी लाशें, परिजनों में मची चीत्कार

पीएम के बाद जब एम्बुलेंस से शवों को मंडला ले जाया जा रहा था तभी मंडला-जबलपुर मार्ग पर शवों को एम्बुलेंस से उतारा गया। इसके बाद बीच सड़क पर बर्फ की सिल्ल्यों पर शवों को रखा गया। एक तरफ जहां परिजनों में चीत्कार मची रही। परिजनों रोते बिलखते रहे तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े रहे।

दीपक की कार, चला रहा था लखन

पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही कार चालक और मालिक की पुलिस ने पहचान कर ली है। कार सिहोरा निवासी लखन सोनी चला रहा था जबकि कार मालिक दीपक सोनी है।

सत्ता सुख में विलीन, श्रमिक परेशान

प्रदर्शन स्थल पर मंडला निवास से कांग्रेस विधायक चैन सिंह भी पहुंचे उन्होंने कहा कि बिना सुरक्षा के काम कराया जा रहा था। लापरवाही के चलते हुए हादसे के आक्रोशित परिजनों, सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सत्त सुख में विलीन है और और श्रमिक परेशान है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

लापरवाही से हादसा

प्रदर्शनकारी राजेन्द्र ने बताया कि एनएचए, ठेकेदार की लापरवाही से हादसा हुआ है। काम करवाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हमारी मांग है कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा मिले। उनके एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। घायलों को दस लाख रूपए दिए जाएं।

मजदूरों की जान सस्ती है साहब

प्रदर्शनकारी सोहन सिंह ने बताया कि मजदूरों की जान को इतना सस्ता बना दिया गया है साहब कि पूछो मत, बिना सुरक्षा के काम कराया जाता है और जिम्मेदार सुध तक नहीं लेते। श्रमिकों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। जिसके चलते पांच मौतें हुई है। हम लोगों ने शव रखकर चक्काजाम किया।

चालक, मालिक की हुई पहचान, तलाश जारी

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि घटना दुख दाई है, जिसके चलते परिजन समझाइश के बाद भी मानने तैयार नहीं थे। एनएचएआई एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा की गई। दो- दो लाख कीसहायता देने का निर्णय लिया गया लेकिन परिजन 25-25 लाख, नौकरी की मांग कर रहे थे हालांकि बाद में समझाइश के बाद मान गए। आरोपी चालक की तलाश जारी है। कार मालिक, चालक की पहचान हो गई है।

वेतन विसंगति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पीएस सहित जबलपुर सीएमएचओ को नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब पद समान है तो वेतन में विसंगति क्यों है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नेशनल हेल्थ मिशन के संचालक, सीएमएचओं जबलपुर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

जबलपुर निवासी अमित चंद्रा सहित नरसिंहपुर रीवा व जिलों के कर्मचारियों की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर अधिवक्ता शिशिर सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) के पद पर कार्यरत हैं। दलील दी गई कि वर्ष 2008 में सरकार ने विज्ञापन जारी कर बीपीएम और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर (डीसीएम) के पद भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। दोनों के पदों के लिए समान योग्यताएं व अहर्ताएं मांगी गई थीं। बीपीएम के लिए चयनित कर्मियों को डीसीएम से 2 हजार रुपए अधिक वेतन पर रखा गया था। दलील दी गई कि वर्ष 2013 से बीपीएम कर्मियों को डीसीएम के मुकाबले कम वेतन दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिये, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया जाये

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदको को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

मध्य प्रदेश आंगनवाडी कर्मचारी संघ की महासचिव संगीता श्रीवास्तव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दशकों से राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे है। राज्य शासन द्वारा इन कार्यकर्ताओं को शासकीय सेवक की तरह अतिरिक्त कार्यबल के रूप में इस्तेमाल कर उन्हें बी.एल.ओ., जनगणना जैसे अतिरिक्त कर्तव्यों का दायित्व दिया जाता है। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित कैडर सृजित नहीं करते हुए उनका शोषण किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमित कैडर के सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाओं और लाभों को पाने के हकदार हैं।

ओएफके कर्मचारियों में तेंदुए को लेकर दहशत

कलेक्टर-वन विभाग के दरबार में लगाई मदद की गुहार

नवभारत,जबलपुर। आयुध निर्माणी खमरिया के पास लगातार तेंदुए की गतिविधि ने कर्मचारियों में खासी दहशत व्याप्त है और अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं तेंदुआ निर्माणी के किसी कर्मचारी पर हमला न कर दे।

विदित हो कि कुछ दिन पहले ही तेंदुआ आयुध निर्माणी के गेट नंबर 4 के पास दिनदहाड़े पहुंच गया था जिसके बाद से कर्मचारियों में दहशत कहीं ज्यादा व्याप्त हो गई थी। सोमवार को आयुध निर्माणी खमरिया के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और जिला वन अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि तेंदुए का रेस्क्यू किया जाए जिससे किसी बड़ी दुर्घटना घटित होने से बच सके। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी द्वारा आयुध निर्माणी के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया कि तेंदुए की ट्रैकिंग कर उसे पकड़ा जाएगा। इस मौके पर कार्यसमिति की ओर से संजीव सिंह उपाध्यक्ष, प्रभात रंजन, संजय सिंह, एवं निर्भय सिंह पटेल उपस्थित रहे।

स्टेट जीएसटी छापामारी 1.11 करोड़ जमा, दस्तावेज जब्त

आयरन-स्टील, सीमेंट फर्मों पर एक साथ हुई थी कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। स्टेट जीएसटी की रद्दी चौकी, महाराजपुर एवं बरेला में आयरन-स्टील और सीमेंट की फर्मों पर चली कार्रवाई में फर्मों से 1.11 लाख रूपए जमा करवा लिए गए है इसके साथ दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्टेट जीएसटी जबलपुर संभाग के संयुक्त आयुक्त आर. एम. साहू के मार्गदर्शन में तीन फर्मों अनिल ट्रेडिंग कार्पोरेशन रद्दी चौकी, बी.एम.डब्ल्यू व्यापार प्राईवेट लिमि., महाराजपुर, दादा ट्रेडर्स, बरेला में कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही जबलपुर संभाग के डिप्टी कमीशनर राघवेन्द्र सिंह एवं वन्दना सिन्हा के नेतृत्व में की गई। यह कार्यवाही 15 जनवरी को शुरू हुई जो 18 जनवरी को देर रात तक चली। कार्यवाही के दौरान कुल 1 करोड़ 11 लाख रूपये जमा कराये गये। छापे की कार्यवाही के दौरान रिकार्ड भी जप्त किये गये है, जिनका छानबीन किया जायेगा, जिससे और भी राजस्व आने का अनुमान है। इस कार्यवाही में राजेन्द्र कुशराम, अमृता चौकसे, मुकुल गुप्ता, शिवशंकर लोधी, ज्ञानचंद गुप्ता, रूची सोनी, ऊषा करोले, ज्योति सोनी, अनुराग शर्मा आदि शामिल रहे।

डीआईजी का रिश्तेदार बता मुख्यालय तक पहुंच की दिखाई धौंस

बिना अनुमति जेल में घुस प्रहरी को धमकाने वाले अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। पाटन उप जेल में बिना अनुमति घुस स्वयं को डीआईजी का रिश्तेदार बताकर मुख्यालय तक पहुंच की धौंस दिखाते हुए महिला जेल प्रहरी को धमकाने वाले अधिवक्त के खिलाफ चली लंबी जांच पड़ताल के बाद पाटन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाटन उप जेल में पदस्थ प्रहरी कु. रचना चौकसे पिता अशोक चौकसे 31 वर्ष 27 जुलाई 2024 को सब जेल पाटन में अपनी नियत ड्युटी में बिल बनाने का लिखित कार्य मुलाकात जाली के सामने बरामदे में बैठ कर रही थी तभी जेल में साफ सफाई करने वाला बंदी दिलीप उर्फ गजनी उर्फ अरविंद पिता माधव प्रसाद लोधी प्रहरी के पास आया, बंदी व्दारा बताया गया कि सामने मुलाकात जाली में बात करने वाला व्यक्ति बिना किसी से पूछे एवं मोबाईल जेब में रख कर बिना एंट्री कराये मुलाकात जाली के पास घुस आया एवं कैदी जमुना प्रसाद उर्फ बल्लू पिता किशोरी पटेल जिसकी मुलाकात नियमानुसार उसके परिजनो से चल रही थी उनसे फोन व्दारा बात करने लगे। जेल प्रहरी ने सूचना तुरंत पहुंचकर पूछा गया आप कौन है और कहा कि फोन रखिये, अपना परिचय दीजिये एवं एंट्री करवाकर आये तो अधिवक्ता सौरभ व्यास बिना कुछ बताये जेल परिसर के बाहर चले गये एवं जेल के बाहर जाकर कहने लगे। रचना ने मेरी बेइज्जती की है, इसकी नौकरी खा जाउंगा, पाटन में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता, मेरी पहचान जेल मुख्यालय तक है, मैं डीआईजी का रिश्तेदार हूं। महिला जेल प्रहरी ने पूरे मामले से सहायक अधीक्षक को अवगत कराया था। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस पाटन, रजिस्ट्रार मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर, महा. नदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाये भोपाल, अधीक्षक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के. जे. जबलपुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन को सूचना दी गई थी।

रैकी के साथ वीडियो भी बनाई

सूत्रों की माने तो जेल में हुई घटना के बाद से ही सौरभ व्यास रचना चौकसे का पीछा करने लगा था। 17 अक्टूबर 2024 को जब रचना जिम गई तो सौरभ व्यास द्वारा पीछा किया गया। उसके जिम में जाने का वीडियो बनाया। इसके बाद लगातार पीछा करता रहा।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने की जांच

पूरे मामले की अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पाटन द्वारा की गई। इस दौरान पीड़िता ने साक्ष्य भी अधिकारी को सौंपे थे। मामले में चली लंबी जांच पड़ताल के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

एडीजे की समझाइश, नहीं माना

पीड़िता के मुताबिक मामले से एडीजे पाटन को भी अवगत करया तो उन्होंने अधिवक्ता को समझाइश दी लेकिन अधिवक्ता द्वारा लगातार अपने गुर्गों से धमकी दिलवाते रहे। उसके खिलाफ आरटीआई भी लगाई थी। झूठी शिकायतें भी की गई।

ट्रेन से कटकर युवक की मौत

जबलपुर, नवभारत। गोसलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। यह व्यक्ति अपनी बेटी के तबादले की खुशी में मैहर स्थित माता शारदा के दर्शन करने जा रहा था। 16 जनवरी को रेलवे ट्रैक पर उनका सिर और धड़ अलग-अलग हालत में मिले थे। बताया गया है कि मृतक के परिजन थाने पहुंचे और उनकी पहचान नर्मदापुरम जिले की माखन नगर तहसील के बिकोरी पंवासा गांव निवासी 55 वर्षीय सुशील दुबे के रूप में की है। हालांकि दो-तीन दिन तक शिनाख्त नहीं हो सकी तो जीआरपी ने शव दफना दिया था। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि वे ट्रेन के गेट के पास खड़े होंगे या झपकी लगने के कारण संतुलन बिगडने से यह हादसा हुआ होगा। पहचान होने के बाद पुलिस ने दफना गए शव को पुन: निकालकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को शव के पास से सोहागपुर से नरसिंहपुर तक की रेलवे टिकट मिली थी। जीआरपी प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि फोटो खींचकर पहचान के लिए प्रसारित किया लेकिन दो-तीन दिनों तक शव की पहचान नहीं हो सकी। नियमानुसार पोस्टमॉर्टम के बाद शव को मेडिकल कॉलेज में एक दिन सुरक्षित रखकर जीआरपी ने दफना दिया था।

22 व्यापारियों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिये नगर निगम प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर सोमवार को संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत रानीताल चौक से मेहता पेट्रोल पंप तक के मुख्य मार्ग पर स्वच्छता अभियान का औचक निरीक्षण स्वास्थ्य अमले के द्वारा किया गया। जिस दौरान व्यापारियों के द्वारा सड़क पर कचरा फैलाया गया और अमनाकर प्रकार की पॉलीथिन का प्रयोग करते पाया गया। इस दौरान 22 व्यापारियों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की गई और 125 व्यापारियों को निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधात्मक पॉलीथिन का उपयोग न करने तथा प्रतिष्ठानों के बाहर सड़कों पर कचरा न फैलाने की समझाईश दी गयी। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 22 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही 125 दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वे डस्टबिन का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और खाद्य सामग्री को ढककर रखें। कार्यवाही के समय गठित दल के प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अगस्ते वर्मा, आलोक जोशी, सचिन जैन, संतोष माहौर, अमन चतुर्वेदी, संजय डोनेकर सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।

नवभारत
आवश्यकता है
पद की योग्यता
देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट (2 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम. व टेली)
डीटीपी ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव (3 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम/ बीबीए)
सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव (2 वर्ष का अनुभव एवं बीए/बी.कॉम)
नोट- स्वयं का वाहन और कम्प्यूटर में दक्षता अनिवार्य।
ऑफिस बाय (5 वर्ष का अनुभव एवं 10 वीं पास)
संपर्क करें
कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)
9752721239, 8305852507, 9109700824
hr.navabharat1934@gmail.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57